राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड़ मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट कार्यालयः– 4, मीरा मार्ग, उदयपुर – 313 001

रजि. कार्यालयः–सी–89–90, लाल कोठी स्कीम जयपुर, CIN-U14109RJ1949SGC000505

Phone : 0294-2428763-67, Fax : 0294-2428770/2428739

e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांकः– आरएसएमएम / सीओ / पर्स / 6(15) / 2015 / 639 दिनांकः– 08/02/2024

–ःपरिपत्रः–

विषयः– आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियो द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन– लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2021 / 02463 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियो को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबन्ध में इन बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करावें।

1. प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2023 (01 जनवरी 2024 की स्थिति) का अचल सम्पत्ति विवरण 29 फरवरी 2024 तक अनिवार्य रुप से भरा जाना है, 29 फरवरी 2024 पश्चात IPR MODULE को बन्द कर दिया जावेंगा। उसके बाद अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकता।

2. आरएसएमएमएल के जो अधिकारी / कर्मचारी अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना उपर्युक्त समय सीमा में ऑन लाईन नही भरेगें / प्रस्तुत नही करेंगें ,उन्हे राजस्थान सरकार, कार्मिक (क–1 / गो. प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76) कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2021 / 02463 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार उनकों विजिलेंस क्लियरेंस नही दी जावेंगी एवं वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा।

3.कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.01.2023 में स्थिति स्पष्ट की गई है कि अचल सम्पति विवरण की सूचना नही भरने वाले कार्मिक की पदोन्नति उपरान्त पदोन्नति आदेश तब तक जारी नही किये जावे जब तक कार्मिक द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण ऑन लाईन नहीं भरा जावें एवं पदोन्नति आदेश में स्पष्ट किया जावे कि उसके पदोन्नति आदेश किस कारण रोके गये। ऐसे पदोन्नत कार्मिकों कों काल्पनिक लाभ रिक्ति दिनांक से तथा वास्तविक लाभ पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा।

4. आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन IPR MODULE भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु श्री नीरज श्रीमाली, उपमहाप्रबन्धक (आई.टी.), कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर से सम्पर्क कर सकते है।

अतः आरएएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं समय सीमा में पूर्ति करें।

उक्त परिपत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पश्चात जारी किया जा रहा है।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्तिय सलाहकार, आरएसएमएमएल, सी.ओ. उदयपुर।
3. समस्त समूह महाप्रबन्धक / प्रमुख एवं प्रभारी, एसबीयू–पीसी लिग्नाईट / लाईमस्टोन / जिप्सम / रॉक फॉस्फेट एवं समस्त विभागाध्यक्ष, कॉरपोरेट कार्यालय, उद[illegible] को निर्देशित [illegible] हुये निर्देशानुसार भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों [illegible] इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
4. श्री नीरज श्रीमाली, उपमहाप्रबन्धक (आई.टी.),
5. सम्बन्धित पत्रावली / गार्ड पत्रावली / संबंधित नोटि[illegible]

RajKaj Ref 5559743

Signature valid
Digitally signed by Govind Singh Ranawat
Designation : Executive Director
Date: 2024.02.08 13:22:38 IST
Reason: Approved

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)